ग्राम पंचायत दाड़ी भाड़ी, विकास खण्ड झण्डुता जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2014 से 03/2017

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत दाड़ी भाड़ी, विकास खण्ड झण्डुता, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान :–

क्र•	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमति अनीता देवी	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्रीमति सुनीता देवी	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिव :–

क्र•	**नाम**	**अवधि**
1	श्री नन्द लाल	01.04.2014 से 31.03.2014

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत दाड़ी भाड़ी, विकास खण्ड झण्डुता जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र	**पैरा सं•**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	5	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.02
2	6	रोकड़ बही का अनुरक्षण नियमानुसार न करना	
3	7	नियम विरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का प्रयोग	––

4	8	बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना	——
5	9	पंचायत को प्राप्त आय का लेखांकन न करना	5.41
6	13	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.47
7	14	अनुदान की राशि का अवरोधन	12.33
8	15	हरियाली के अनुदान की राशि को बिना उपयोग वापिस करना	0.09
9	16	बिना उचित बिलों के किया गया संदिग्ध व्यय	2.73
10	18	निविदाएं आमन्त्रित न करके अनियमित स्टोर/स्टॉक की खरीद करना	3.12
11	19	लॉटरी की टिकटों हेतु अनुचित भुगतान	0.01
12	20	रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखना	——
13	27	मस्ट्रौल सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना व अनियमित भुगतान	0.93

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत दाड़ी भाड़ी, विकास खण्ड झण्डुता, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 25/05/2017 से 31/05/2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 02/2015, 04/2015, 09/2016 व 04/2014, 07/2015 तथा 03/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत दाड़ी भाड़ी, विकास खण्ड झण्डुता, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–91 दिनांक 31/05/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशी को हि. प्र. रा. स. बैंक झण्डुता के चैक संख्या 373196 दिनांक 31–05–2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	1107689	3236777	4344466	3192389	1152077
2015–16	1152077	2672747	3824824	2549198	1275626
2016–17	1275626	2808999	4084625	2851208	1233417

टिप्पणीः– ग्राम पंचायत दाड़ी भाड़ी के लेखाओं की जांच में पाया गया कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अवहेलना करते हुए स्व–स्त्रोतों से सम्बन्धित आय–व्यय के लिए बैंक में अलग खाता खोल कर पंचायत निधि के खाता ''क'' का संचालन नहीं किया जा रहा है। इसके स्थान पर स्व स्त्रोतों के आय व्यय हेतु बैंक खाता संख्या 11110105250 जिसमें पंचायत को प्राप्त अनुदानों को भी जमा करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्व स्त्रोतों से सम्बधित लैजर तथा वर्गीकृत सार का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इस कारण से पंचायत के स्व–स्त्रोतों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की जा सकी है। यह नियमविरूद्ध कार्यविधि क्यों तथा किसके निर्देशों से अपनाई गई है के बारे में अंकेक्षण को कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत दाड़ी भाड़ी की रोकड़ बही अनुसार संकलित वित्तीय स्थिति के उपरोक्त ₹12,33,417 के अन्तशेष तथा बैंक खातों में जमा विवरण व सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

क्र	खाता	अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः–	
	रोकड़ बही के अनुसार खाता ''क व ख'' का अन्तशेष – पैरा 4	**1233417**

बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–

	विवरण	बैंक	खाता	
1	पंचायत निधि– खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डुता	5250	800117
2	पंचायत निधि–खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डुता	5702	956793
3	इन्दिरा आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डुता	11572	33096
4	राजीव आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डुता	11573	82390
5	मनरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डुता	6001	0
6	हरियाली परियोजना	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डुता	5252	0
7	हरियाली लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डुता	5744	140234
8	खाता ''ख'' की रोकड़ बही में नकद हस्तगत शेष			144
9	हरियाली की रोकड़ बही में नकद हस्तगत शेष			20
	बैंक खातों में जमा राशि का कुल योगः			2012794

बैंक समाधान विवरणीः–

रोकड़ बहियों के अनुसार अन्तशेषः	**1233417**
(+) जमाः–	
दिनांक 25.10.2016 को खाता संख्या 5702 में आर टी जी एस से प्राप्त अनुदान जिसे रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया हैः–	**28000**

(+) जमाः–

दिनांक 9.1.2017 को खाता संख्या 5702 में आर टी जी एस से प्राप्त 14वें वित्तायोग का अनुदान जिसे रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया हैः– **513284**

(+) जमाः–

वो चैक जो 31–03–2017 से पूर्व जारी किए गए थे परन्तु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैंः–

खाता संख्या 5250 से जारी चैक संख्या 373189 दिनांक 28.3.17	62120	
खाता संख्या 5702 से जारी चैक संख्या 844473 दिनांक 28.3.17	12024	
खाता संख्या 5702 से जारी चैक संख्या 844474 दिनांक 28.3.17	12024	
खाता संख्या 5702 से जारी चैक संख्या 844475 दिनांक 28.3.17	12024	
खाता संख्या 5702 से जारी चैक संख्या 844476 दिनांक 28.3.17	12024	
खाता संख्या 5702 से जारी चैक संख्या 844477 दिनांक 28.3.17	11922	
खाता संख्या 5702 से जारी चैक संख्या 844478 दिनांक 28.3.17	7590	
खाता संख्या 5702 से जारी चैक संख्या 844479 दिनांक 28.3.17	11922	
खाता संख्या 5702 से जारी चैक संख्या 844480 दिनांक 28.3.17	12024	
खाता संख्या 5702 से जारी चैक संख्या 844481 दिनांक 28.3.17	11922	
खाता संख्या 5702 से जारी चैक संख्या 844482 दिनांक 28.3.17	11922	
खाता संख्या 5702 से जारी चैक संख्या 844483 दिनांक 28.3.17	9000	
खाता संख्या 5702 से जारी चैक संख्या 844484 दिनांक 28.3.17	42078	
खाता संख्या 5702 से जारी चैक संख्या 844485 दिनांक 31.3.17	2000	
खाता संख्या 5702 से जारी चैक संख्या 844486 दिनांक 31.3.17	5670	
(+) उपरोक्त चैकों का कुल योगः		**236266**
रोकड़ बहियों का संशोधित शेषः		**2010967**
बैंक खातों अनुसार अन्तशेषः		**2012794**
अन्तर जो कि खाता 'क व ख' की संयुक्त रोकड़ बही से सम्बन्धित हैः–		**1827**

उपरोक्त ₹1827 के अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़ बही का अनुरक्षण नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत दाड़ी भाड़ी की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत में रोकड़ बहियों के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। इनमें किसी भी प्रकार के आरम्भिक शेष/अन्तशेष (Opening/Closing Balances) नहीं लिखे/निकाले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7 नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में तीन अलग–अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन तीन रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

8 नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) तथा रोकड़ बही के लिए इन नियमों में प्रावधित ''प्रारूप–5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य है। लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी भाड़ी के लेखाओं की जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है। इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत को प्राप्त ₹5.41 लाख की आय का रोकड़ बही में लेखांकन न करनाः–

पंचायत की आय से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि कुछ प्रकरणों में निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार आर टी जी एस अनुदान के रूप में बैंक खाता संख्या 11110105702 में ₹5,41,284 की प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। यह एक अति गम्भीर त्रुटि है जिसके कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया गया है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

दिनांक 25.10.2016 को आर टी जी एस से प्राप्त अनुदान	**28000**
दिनांक 9.1.2017 को आर टी जी एस से प्राप्त 14वें वित्तायोग का अनुदान	**513284**
कुल योग	**541284**

10 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशाील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

11 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है जिससे इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त सके।

परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

12 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

13 पंचायत राजस्व ₹0.47 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत दाड़ी भाड़ी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक पंचायत राजस्व की ₹47,120 वसूली हेतु शेष थी।

1. **गृहकर** : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2014–15 में 450, 2015–16 में 455 तथा 2016–17 में 455 परिवारों के लिए ₹50 प्रति परिवार की दर से प्राप्य गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु

					शेष राशि
2014–15	22500	22500	45000	43380	1620
2015–16	1620	22750	24370	0	24370
2016–17	24370	22750	47120	0	47120

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

14 अनुदान ₹12.33 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹12,33,417 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

15 हरियाली के अनुदान की ₹0.09 लाख को बिना उपयोग वापिस करने बारेः–

हरियाली परियोजना की रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि पृष्ठ 75 पर दिनांक 11.04.2016 को उक्त निधि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की राशि में से ₹9382 को बिना उपयोग किए ही खण्ड विकास अधिकारी, झण्डुता को लौटा दिया गया है। इस अनुदान को वापिस किए जाने के सन्दर्भ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने वाला न तो अन्य कोई पत्राचार/अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया और न ही खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय की प्राप्ति रसीद ही प्रस्तुत की गई है। अतः अनुदान की इस राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 बिना उचित बिलों के किया गया ₹2.73 लाख का संदिग्ध व्ययः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत दाड़ी भाड़ी के अंकेक्षणावधि के चयनित माह के वाउचरों की जांच में पाया गया कि रोकड़ बहियों में दर्ज ₹2,73,408 के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख':–			
1	19.5.15 व	80 व	रेत व बजरी (एक बिल का दो	9630
	25.7.15	84	किस्तों में भुगतान)	28458
2	2.7.15,	84,	शटरिंग (एक बिल का तीन किस्तों	1542
	30.9.15 व	87 व	में भुगतान)	3574
	8.1.16	2		9944
3	25.7.15	84	सरिया	25000
4	28.3.17	49	रेत, बजरी व पत्थर	12024
5	28.3.17	49	रेत, बजरी व पत्थर	12024
6	28.3.17	49	रेत, बजरी व पत्थर	11922
7	28.3.17	49	रेत, बजरी व पत्थर	7590
8	28.3.17	49	रेत, बजरी व पत्थर	11922
9	28.3.17	50	रेत, बजरी व पत्थर	12024
10	28.3.17	50	रेत, बजरी व पत्थर	11922
11	28.3.17	50	रेत, बजरी व पत्थर	11922
12	28.3.17	50	रेत, बजरी व पत्थर	62120
	हरियालीः–			
13	24.4.14	64	पत्थर	16000
14	24.4.14	64	पत्थर	2100
15	21.9.14	68	रेत व बजरी	20400
16	24.6.15	70	बजरी	3290

कुल योग	**273408**

इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए आपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

17 निर्माण सामग्री की खरीद उचित बिलों के बिना करनाः–

गत पैरा में दिया गया विवरण मात्र अंकेक्षणावधि के लेखाओं की जांच हेतु चयनित मासों से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया था कि पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों विशेषतः मनरेगा कार्यों के लिए रेत, बजरी, पत्थर, ईंट इत्यादि निर्माण सामग्री की खरीद भी इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत बिना उचित बिलों के की गई है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों की भी पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

18 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.12 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹3,12,290

के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख':–			
1	9.4.16	53	लेखन सामग्री	8116
2	25.7.15	84	लकड़ी के दरवाजे व खिड़कियों के चौखट	20000
3	19.5.15 व	80 व	रेत, बजरी (बिल का दो किस्तों में	9630
	25.7.15	84	भुगतान)	28458
4	2.7.15,	84,	शटरिंग (बिल का तीन किस्तों में	1542
	30.9.15 व	87 व	भुगतान)	3574
	8.1.16	2		9944
5	25.7.15	84	सरिया	25000
6	28.3.17	51	कम्पयूटर की मुरम्मत व नया एल ई डी मॉनिटर	6000
7	28.3.17	49	रेत, बजरी व पत्थर	12024
8	28.3.17	49	रेत, बजरी व पत्थर	12024
9	28.3.17	49	रेत, बजरी व पत्थर	11922
10	28.3.17	49	रेत, बजरी व पत्थर	7590
11	28.3.17	49	रेत, बजरी व पत्थर	11922
12	28.3.17	50	रेत, बजरी व पत्थर	12024
13	28.3.17	50	रेत, बजरी व पत्थर	11922
14	28.3.17	50	रेत, बजरी व पत्थर	11922
15	28.3.17	50	रेत, बजरी व पत्थर	62120
	हरियालीः–			
13	24.4.14	64	पत्थर	16000
14	24.4.14	64	सरिया	6866
15	21.9.14	68	रेत व बजरी	20400
16	24.6.15	70	बजरी	3290
	कुल योगः			**312290**

उपरोक्त विवरण मात्र चयनित माह से सम्बन्धित है तथा इसके अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न

करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 लॉटरी की टिकटों हेतु ₹1000 का अनुचित भुगतानः–

पंचायत निधि की रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि पृष्ठ 51 पर दिनांक 28–03–2017 को ₹1000 का भुगतान बिलासपुर जिला रैड क्रॉस के रैफरल ड्रॉ 2016 के 50 टिकटों के लिए टिकट संख्या 40601 से 40650 ₹20 प्रति टिकट की दर से किया गया है। हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार यह भुगतान पंचायत निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए निधि में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

20 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुकों के स्टॉक की जांच में पाया गया कि इसे हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत रसीद बुकों के अभिलेखन के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः–

1. इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जाएगा।
2. खाली रसीद बुकें सचिव की निजि अभिरक्षा में अलमारी में ताला लगा कर रखी जाएगी।
3. नई रसीद बुक को आरम्भ करने से पूर्व प्रधान द्वारा उसमें पाई गई खाली रसीदों को प्रमाणपत्र सहित सत्यापित किया जाएगा।

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप ''4'' के अनुसार बनाए गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी भाडी में इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार ही नहीं किया गया है। जिस कारण से अंकेक्षणावधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका है तथा न ही उसकी जांच सम्भव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणावधि के

दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 दिनांक रहित रसीदें जारी करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बहुत सी प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमविरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषतः आर• टी• जी• एस•/ऑलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 जारी प्रमाणपत्रों के शुल्क के अभिलेख का अनुरक्षण/संकलन न करनाः–

पंचायत कार्यालय विवाह, जन्म व मृत्यु, परिवार, राशन कार्ड इत्यादि के लिए पंजीकरण कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है तथा इनके पंजीकरण के समय पंजीकरण शुल्क तथा सम्बन्धित प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रमाणपत्र शुल्क वसूल किया जाता है जो कि पंचायत की आय का एक प्रमुख स्त्रोत है। इन शुल्कों से सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इस मद में एकत्र राशि का कोई विवरण संकलित नहीं किया गया है, और न ही सम्बन्धित रजिस्टरों में वसूली के बारे में कोई सन्दर्भ दिया गया है। इस अभिलेख के अभाव में अंकेक्षण के दौरान न तो इस मद में एकत्र कुल राशि की जानकारी उपलब्ध हो पाई और न ही इसकी अंकेक्षण में जांच की जा सकी है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का अनुरक्षरण न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी भाड़ी में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

25 वेतन/मानदेय रजिस्टरों का निर्माण न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 58 के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 18 पंचायत के अधीन रखे गए कर्मचारियों को मासिक आधार पर किए जाने वाले वेतन/मानदेय के भुगतान के सन्दर्भ में ''संस्थापना व्यय का जांच पड़ताल रजिस्टर (Pay Check Register)'' का अनुरक्षण किया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत दाड़ी भाड़ी में पंचायत के अधीन रखे गए वैटरनरी फर्मासिस्ट को ₹5000 प्रतिमास की दर से वेतन/मानदेय का भुगतान किया जाता है (रोकड़ बही पृष्ठ 54 दिनांक 16.4.2014 पर ₹25000 का भुगतान)। इसी प्रकार पंचायत के अधीन जलरक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। इन लोगों को मासिक आधार पर किए जाने वाले वेतन/मानदेय के भुगतान के सन्दर्भ में किसी प्रकार के ''संस्थापना व्यय का जांच पड़ताल रजिस्टर (Pay Check Register)'' का अनुरक्षण नहीं किया गया है जिससे इसकी जांच की जा सके अथवा दोहरे भुगतान की संभावना को टाला जा सके। इस चूक के सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस अभिलेख को प्राथमिकता के आधार पर तैयार तथा पूर्ण किया जाए तथा भविष्य में इसमें लेखांकन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 इन्दिरा/राजीव/अटल आवास योजना के लाभार्थियों के संकलित अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

अंकेक्षाणावधि के तीन वर्षों 04/2014 से 03/2017 के दौरान इन्दिरा/राजीव/अटल आवास योजना के अन्तर्गत पंचायत द्वारा लाखों रुपये चयनित लाभार्थियों को गृह निर्माण हेतु आबंटित किय गए हैं। परन्तु पंचायत में इन लाभार्थियों के सन्दर्भ में रोकड़ बही में भुगतान प्रविष्टियों तथा वाउचर नस्तियों में रसीद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अभिलेख उपलब्ध नहीं था। अंकेक्षण में न तो सक्षम प्रधिकारी द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची और न ही आवेदन

पत्र, मकान बनाए जाने के स्थान की जमाबन्दी/ततीमा इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34(25) के प्रावधानों का अवहेलना है। अतः इस बारे में तथ्यपूर्ण उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उपरोक्त अभिलेख उचित प्रारूप में तैयार करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

27 मस्ट्रौल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना करके ₹0.93 लाख का अनियमित भुगतानः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए गए प्रमाणित मस्ट्रौल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाज़िरी लगाने के लिए ''मस्ट्रौल जारी करने के रजिस्टर'' में प्रविष्टि के उपरान्त जारी किए जाएंगे। इन्ही नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रौल का अभिलेखन व अनुरक्षण हि• प्र• लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्धति पर किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी भाड़ी द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रौल की जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की सर्वथा अवहेलना की गई है तथा ₹93,242 का अनियमित भुगतान किया गया है। मुख्य रूप से इन मस्ट्रौल में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. प्रयोग किए गए मस्ट्रौल में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है। मस्ट्रौल पर रखे गए मज़दूरों से सम्बन्धित विकास/निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है।
2. मस्ट्रौल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा न तो किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित किया गया है और न ही किए गए कार्य का विवरण दर्ज किया गया है जिससे कि भुगतान किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जा सके।
3. मस्ट्रौल में एक–दो को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।

उदाहरण हेतु अंकेक्षण जांच के दौरान चयनित माह में पाए गए त्रुटिपूर्ण मस्ट्रौल तथा ₹93,242 के अनियमित भुगतान को निम्न तालिका में संकलित किया गया हैंः–

क्र	दिनांक	रोकड़ पृष्ठ	भुगतान राशि	कार्य का नाम
1	25.7.15	83	9274	गांव रच्छेहड़ा में तालाब का निर्माण
2	25.3.17	48	16840	मुरली मनोहर मन्दिर में शौचालय निर्माण

3	28.3.17	50	25050	पुरशोत्तम के घर से बलदेव के घर तक पक्के रास्ते का निर्माण
4	28.3.17	50	4252	जगदीश के घर से गुरदास के घर तक रास्ते व नाली की मुरम्मत
5	28.3.17	50	4252	नानक चन्द के घर से जोहड़ी तक रास्ते व नाली की मुरम्मत
6	28.3.17	50	4252	विमला के घर से प्रकाश के घर तक रास्ते व नाली की मुरम्मत
7	28.3.17	51	4252	मातला से प्राथमिक पाठशाला तक रास्ते व नाली की मुरम्मत
8	28.3.17	51	4252	जय सिंह के घर से इन्दर के घर तक रास्ते व नाली की मुरम्मत
9	28.3.17	51	3810	मुरली मनोहर मन्दिर से ओम सिंह के घर तक रास्ते व नाली की मुरम्मत
10	28.3.17	51	4252	ठाकुर दास की दुकान से रामपाल के घर तक रास्ते व नाली की मुरम्मत
11	28.3.17	51	4252	सुरेश के घर से बलवीर के घर तक रास्ते व नाली की मुरम्मत
12	28.3.17	51	4252	कृष्ण दयाल के घर से बावड़ी तक रास्ते व नाली की मुरम्मत
13	28.3.17	51	4252	अशोक के घर से बड़ोग नाले तक रास्ते व नाली की मुरम्मत
कुल योगः–			**93242**	

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसे सुधारात्मक कार्यवाही करके तथा सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर प्रशासनिक स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–

ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1. **अधूरा मस्ट्रौल रजिस्टरः–** पंचायत द्वारा मस्ट्रौल रजिस्टर में मस्ट्रौल को जारी करने से लेकर भुगतान तक का सम्पूर्ण विवरण जैसे जारी करने की दिनांक, दिहाड़ीदार की कार्ड संख्या, कार्य का नाम, रोजगार अवधि, किए गए कार्य दिवस, भुगतान का ब्यौरा जैसे दिनांक, राशि, रोकड़ बही का पृष्ठ इत्यादि सम्पूर्ण ब्यौरा दर्ज करने के स्थान इनमें से मात्र आधी अधूरी जानकारी ही दर्ज की जाती है।

2. **अधूरे रोजगार कार्डः–** रोजगार कार्ड भी अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।

3. संलग्न **परिशिष्ट '2'** पर दर्ज टिप्पणी देकर पंचायत रोजगार सहायक व सचिव द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है कि मनरेगा के अन्तर्गत मांगे गए रोजगार आवेदनों का सम्पूर्ण अभिलेख पंचायत द्वारा नहीं रखा गया है। यह अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। परन्तु इस मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया ₹48,36,889 का समस्त व्यय तथा **परिशिष्ट ''2''** के अनुसार 18494 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।

4. **सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जानाः–** हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस –1/2016–16–आर डी (पी आर सी) दिनांक 13–05–2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का पूर्ण अनुरक्षण करने के स्थान पर मात्र मनरेगा योजना के अन्तर्गत करवाए गए कार्यों का ही आधा अधूरा अभिलेखन किया गया है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

29 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

ग्राम पंचायत दाड़ी भाड़ी के लेखाओं की वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की अंकेक्षण जांच उपरान्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी/संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के ''**परिशिष्ट– ई**'' में दिए गए अनुबन्ध प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

3 इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है।

4 हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच में बहुत मुश्किल आई है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु खरीदी गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अब हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में मैटीरियल ऐट साईट/स्टॉक रजिस्टर को हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार किया

जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली में उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरूद्ध होने के कारण अनियमित भी है।

7 हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

30 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 8 के नियम 66 से 73 तक में पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) मद के रूप में अलग–अलग रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण रजिस्टरों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम

पंचायत दाड़ी भाड़ी द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण तो किया गया है परन्तु इनमें खरीदी गई सामग्री को दिनांकवार निरन्तर क्रम में दर्ज किया गया है न कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार। इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री का लेखांकन करते समय हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 11 के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए इसे किसी भी प्रकार के स्टॉक रजिस्टरों दर्ज ही नहीं किया गया है। यह एक अति गम्भीर चूक है तथा सामग्री के स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकन तथा उसके उपभोग के विवरण के अभाव में किया गया समस्त व्यय अनियमित है। अतः इस बारे में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके इसका नियमतीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

31 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

32 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12

2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	——	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	——	——

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविश्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

33 पंचायत पदाधिकारियों को देय मानदेय के सम्पूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः—

पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में मानदेय रजिस्टर में मात्र भुगतान की प्रविष्टियां ही दर्ज की जाती हैं। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

34 लघु आपति विवरणिका :— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

35 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमयनुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xii) 24/2017–खण्ड–1–6013–6016 दिनाँक–6.10.17
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत धार टटोह, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर जिला बिलासपुर हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046